

न्यायालय-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड जिला बड़वानी

समक्ष-श्रीमती वंदना राज पांडेय

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 517 / 2008
संस्थित दिनांक- 30.11.2008

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र-ठीकरी, जिला बड़वानी म.प्र.अभियोजन

वि रु द्ध

1. अनिल पिता मानसिंह उर्फ मालसिंह,
आयु-20 वर्ष, व्यवसाय-मजदूरी,
2. कैलाश पिता मानसिंह उर्फ मालसिंह,
आयु-21 वर्ष, व्यवसाय-मजदूरी
दोनों निवासी ग्राम तलाईपुरा, दवाना,
तहसील ठीकरी, जिला बड़वानीआरोपीगण

अभियोजन द्वारा	- श्री अकरम मंसूरी ए.डी.पी.ओ. ।
आरोपीगण द्वारा	- श्री बी.के. सत्संगी अधिवक्ता ।

-: निर्णय :-

(आज दिनांक 30/10/2015 को घोषित)

1. अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 225/08 में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 21.06.08 के आधार पर इसी दिनांक को रात्रि लगभग 9:30 बजे ग्राम दवाना तलाईपुरा में आरोपीगण ने एक साथ मिलकर फरियादी जगदीश, रामु तथा गंगाबाई को उपहति कारित करने का सामान्य आशय बनाकर, अभियुक्त कैलाश द्वारा जगदीश को सख्त एवं बोथरी वस्तु लकड़ी से मारपीट कर स्वैच्छापूर्वक उपहति कारित करने तथा आरोपी अनिल द्वारा रामु को लकड़ी से मारपीट कर स्वैच्छापूर्वक उपहति कारित करने के लिए भा.द.सं. की धारा-325, 323 एवं 323/34 का आरोप है ।
2. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि पुलिस ने अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया था ।
3. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 21.06.08 को रात्रि लगभग 9:30 बजे जगदीश ने थाना ठीकरी पर आकर अभियुक्तों के विरुद्ध यह असंज्ञेय अपराध की रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि अभियुक्तगण उसकी सास गंगाबाई और ससुर रामु से बागड़ की बात को लेकर झगड़ा कर रहे थे तो वह अभियुक्तों को समझाने के लिये गया था, अभियुक्त कैलाश ने उसे एक लकड़ी मारी, जिससे सिर में पीछे उसे चोट आई, गंगाबाई

बीच-बचाव करने आई तो उसे कैलाश ने सिर में दाहिने तरफ लकड़ी मारी थी और उसका ससुर रामु बीच-बचाव करने आया तो उसे अनिल ने लकड़ी मारी जो सिर में बायीं तरफ लगी, घटना अंबाराम और उसकी पत्नी संतोषीबाई, साले सुभाष ने देखी और रिपोर्ट करने आया, उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना ठीकरी में असंज्ञेय अपराध की रिपोर्ट क्रमांक 225/08 दर्ज करायी गयी । आहत साक्षीगण को मेडिकल-परीक्षण के लिये भेजा गया, मेडिकल-परीक्षण के दौरान आहत जगदीश को अस्थि-भंग की चोट होना पाने से थाना ठीकरी में अपराध क्रमांक 225/08 अभियुक्तों के विरुद्ध दर्ज कर साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये । घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग-पत्र न्यायालय में पेश किया गया ।

4. उक्त अनुसार अभियुक्तों पर भा.द.सं. की धारा-325, 323 एवं 323/34 के आरोप तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा लगाये जाने पर तथा भा.द.सं. की धारा-313 के अंतर्गत किये गये परीक्षण में अभियुक्तों के कथन हैं कि वे निर्दोष हैं, उन्हें झूठा फँसाया गया है, फरियादी ने घटना की झूठी रिपोर्ट की गयी है, लेकिन अभियुक्तों ने बचाव में किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है ।

5. विचारणीय प्रश्न निम्न उत्पन्न होते हैं :-

क्र.	विचारणीय प्रश्न
1	क्या अभियुक्तों ने दिनांक 21.06.08 को रात्रि लगभग 9:30 बजे ग्राम दवाना में सामान्य आशय का निर्माण आहत जगदीश को उपहति कारित करने के लिये किया, जिसके अनुसरण में अभियुक्त कैलाश ने जगदीश को सख्त एवं बोथरी वस्तु लकड़ी से मारपीट कर उसे स्वैच्छापूर्वक घोर उपहति कारित की ?
2	क्या अभियुक्त कैलाश ने गंगाबाई को तथा अनिल ने रामु को सख्त एवं बोथरी वस्तु लकड़ी से मारपीट कर उन्हें स्वैच्छापूर्वक उपहति कारित की ?

-: साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार :-

6. अभियोजन की ओर से अपने समर्थन में साक्षी गंगा (अ.सा.1), जगदीश (अ.सा.2), भुरला डावर (अ.सा.3), रामु (अ.सा.4), संतोषीबाई (अ.सा.5), सुभाष (अ.सा.6), भिंगोर (अ.सा.7), अम्बाराम (अ.सा.8), विशम्भर सिंह कुशवाह (अ.सा.9), डॉ. अनिता सिंगारे (अ.सा.10) का परीक्षण कराया गया है ।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2 :-

7. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में साक्षी गंगाबाई (अ.सा.1) का कथन है कि वह अभियुक्तों को जानती है, लगभग 12 महीने पहले अभियुक्त उनके घर पर मारने के लिये आए थे, उस समय अभियुक्तों से उसके पूर्व कोई झगड़ा नहीं था, अभियुक्तों ने उसके जवाईं जगदीश के साथ, उसके साथ और उसके पति रामु के साथ मारपीट की थी, उसके पति रामु को मुंह में चोट आई थी, कैलाश ने लकड़ी से जगदीश

को मारा था, अनिल ने पत्थर मारे थे, जगदीश को सिर पर चोट आई थी, जिससे उसे टांके लगे थे, उसे मुंह एवं सिर में चोटे आई थीं । घटना के समय अंबाराम और ओमप्रकाश आ गये थे, फिर वे सरपंच के पास गये थे और वहां से ठीकरी थाने पर उसके पति और जवाई जगदीश रिपोर्ट करने गये थे, पुलिस ने ईलाज के लिये अस्पताल भेजा था ।

8. बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि वे लोग कोली समाज के हैं, लेकिन साक्षी ने अस्वीकार किया है कि उनके समाज में दारू पीने का रिवाज है, लेकिन उसके पति और दामाद शराब नहीं पीते हैं । घटना रात 8 बजे की है, उस समय बिजली बंद थी और अंधेरा था, जो झगड़ा हुआ था, वह मकान की बागड़ को लेकर हुआ था, लेकिन इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि उन्होंने अभियुक्तों से झगड़ा किया था अथवा गालियां दी थी । साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसके और अभियुक्तों के परिवार की बोलचाल बंद है तथा रंजिश है । साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उनका मकान पहले से बनाकर रह रहे हैं, अभियुक्तगण वहां बाद में मकान बनाकर रहने लगे और उसकी पुत्री की शादी से पहले ही अभियुक्तगण वहां रहने लगे हैं । साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उन्होंने सरपंच से अभियुक्तों की शिकायत की थी, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि उन्हें अभियुक्तों का स्वभाव पसंद नहीं आता था । साक्षी ने स्वीकार किया है कि पुलिस घटना वाले दिन उनके यहां आ गयी थी, उसके बाद नहीं आई । साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसके घर के आसपास गांव में आने-जाने का रास्ता है और आस-पड़ोस के लोग भी रहते हैं । साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि अंधेरे के कारण उसने अभियुक्तों को नहीं देखा था अथवा उनके साथ किसी अन्य व्यक्ति ने मारपीट की थी, साक्षी ने स्पष्ट किया है कि अभियुक्तों ने ही मारपीट की थी । साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसके सरपंच से अच्छे संबंध हैं और झगड़ा होने के बाद में सरपंच के पास गये थे, तब सरपंच ने थाने पर फोन लगाया था । साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि अभियुक्तों से उनकी बनती नहीं है, इसलिए उन्होंने अभियुक्तों के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट की गयी है ।

9. रामु (अ.सा.4) ने भी अभियुक्तों को पहचानने और तीन वर्ष पूर्व अभियुक्तों द्वारा उसके और उसकी पत्नी गंगाबाई के साथ लड़ाई-झगड़ा लकड़ी से मारपीट करने, जगदीश द्वारा बीच-बचाव करने पर अभियुक्तों द्वारा जगदीश के साथ लकड़ी से मारपीट करने के संबंध में कथन किया गया है । साक्षी का यह भी कथन है कि घटना में उसे सिर और हाथ पर, उसकी पत्नी को सिर में और जगदीश को सिर में पीछे और हाथ पर चोटे आई थीं । पुलिस ने उन्हें ईलाज के लिये भेजा था । बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि झगड़ा जमीन की बागड़ को लेकर हुआ था और जब घटना हुई थी, तब बिजली बंद थी । साक्षी ने स्वीकार किया है कि जगदीश उसका जवाई है और उनके समाज में शराब पीने का प्रचलन है । साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि वह शराब पीता है, लेकिन इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसका जवाई कभी-कभी मदिरापान करता है, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि घटना वाले दिन जगदीश शराब पीये हुए था । साक्षी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि जमीन की बागड़ को लेकर उसका और अभियुक्तगण का पहले भी कई बार विवाद हुआ है । साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि घटना के समय काफी व्यक्ति इकट्ठा हो गये थे । साक्षी ने स्पष्ट किया है कि घटना होने के बाद काफी व्यक्ति हो गये थे, घटना के समय कोई

उपस्थित नहीं था और उनके पड़ोस में रहने वाले लगभग 15-20 व्यक्ति घटनास्थल पर आ गये थे । साक्षी ने स्वीकार किया है कि संतोषी उसकी पुत्री, भिंगोर उसका भाई और अंबाराम उसका रिश्तेदार लगता है। साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसकी अभियुक्तों से बनती नहीं है । साक्षी ने यह स्पष्ट किया है कि झगड़े के बाद से बातचीत बंद है । साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि उनके मकान की बागड़ अभियुक्तों के मकान में घुस रही थी, तो अभियुक्तों ने उसे हटाने के लिये कहा था । साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि अभियुक्तगण उनके बाद गांव में रहने के लिये आए थे और उनका मकान बनाने के लिये उन्होंने अभियुक्तों से विवाद किया था । साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि इस कारण वे अभियुक्तों के विरुद्ध असत्य कथन कर रहे हैं ।

10. साक्षी जगदीश (अ.सा.2) का कथन है कि लगभग 2 साल पहले अभियुक्तगण उसकी सास गंगाबाई और ससुर रामु से झगड़ा कर रहे थे तो वह बीच-बचाव करने गया था, तब अभियुक्त कैलाश ने उसके सिर के पिछले भाग पर लकड़ी मारी थी, जिससे उसके सिर से खून निकला था । अभियुक्तों ने उसके सास-ससुर के साथ लकड़ी और हाथ-पैर से मारपीट की थी । अनिल ने उसकी सास को लकड़ी से मारा था, जिससे उसके सिर, कान और गाल पर चोटे आई थीं, अनिल ने ससुर के साथ मारपीट की थी और पत्थर मारे थे । उसने घटना की रिपोर्ट थाना ठीकरी पर जाकर की थी । पुलिस ने उसका ईलाज करवाया था और घटनास्थल गांव में आकर देखा था । साक्षी ने थाना ठीकरी में अभियुक्तों के विरुद्ध लिखायी गयी असंज्ञेय अपराध की रिपोर्ट प्र.पी.1 को भी प्रमाणित किया है ।

11. बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसके विवाह के बाद अभियुक्तगण उनके परिवार के साथ आकर ग्राम दवाना में निवास करने लगे थे और उसके ससुर के पास मकान बना लिया था । साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसकी अपने भाईयों से नहीं बनती थी, इसलिए वह अकेला रहता था । साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उनके समाज में शराब पीने का प्रचलन है और कभी-कभी वह भी शराब पीता है । साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसकी अपने भाईयों से नहीं बनती थी, इस कारण वह ससुराल में आकर रहने लगा था । साक्षी ने स्पष्ट किया है कि वे मेहमान बनकर दवाना गये थे और उसका मकान ग्राम ललवाय में बना है । साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसके ससुर ने उसे मकान दवाना में बनाकर दिया था, जिसमें वह अपनी पत्नी के साथ रहता था और उसके मकान की बागड़ को लेकर उसका विवाद अभियुक्तों से हुआ था । साक्षी ने स्पष्ट किया है कि वह रिपोर्ट करने थाने नहीं गया था, पुलिस आई थी और उनको साथ लेकर थाने पर गयी थी, वहां पर उसने रिपोर्ट लिखायी थी । साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि घटना के समय विद्युत प्रदाय बंद था । साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसकी अभियुक्तों से बातचीत बंद है, इस कारण वह अभियुक्तों को फँसाने के लिये असत्य कथन कर रहा है ।

12. साक्षी संतोषीबाई (अ.सा.5), सुभाष (अ.सा.6) ने भी अभियुक्तों द्वारा जमीन की बागड़ की बात को लेकर गंगाबाई, रामु और जगदीश के साथ मारपीट करने के संबंध में कथन किये गये हैं । साक्षी सुभाष (अ.सा.6) का यह भी कथन है कि रात्रि लगभग 9:00 बजे जब वे टी.वी. देख रहे थे, तब हल्ले की आवाज सुनकर जगदीश पहले दौड़कर गया था, अभियुक्तों के हाथ में लकड़ी थी, उसने देखा कि अभियुक्तगण

जगदीश के साथ में मारपीट कर रहे हैं, अभियुक्तों ने गंगाबाई एवं रामु के साथ भी लकड़ियों से मारपीट की थी, जिससे गंगाबाई के हाथ में, कान में और जगदीश के हाथ में व सिर में चोटे लगी थीं, रामु को भी चोटे लगी थीं । बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि जगदीश उसका जीजा है, गंगाबाई उसकी माँ और रामु उसका पिता है । साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि घटनास्थल पर उस समय अंधेरा था, इस साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि वह भीड़ के कारण यह नहीं देख पाया था कि किसने, किसको मारा, साक्षी ने स्पष्ट किया कि जगदीश को कैलाश ने मारा था, साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि घटना के समय जगदीश शराब पीये हुए था और गिरने से उसे सिर में चोट आई थी । साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि जब वह घटनास्थल पर गया तब सभी व्यक्ति अलग हो गये थे और कोई किसी के साथ मारपीट व गालीगलौज नहीं कर रहा था ।

13. साक्षी संतोषीबाई (अ.सा.5) का कथन है कि अनिल और कैलाश ने पहले उसकी माँ गंगाबाई के साथ मारपीट की थी, माँ की आवाज आने पर वे दौड़कर गये थे और अभियुक्तों को समझाने लगे, तब उसकी पति जगदीश को अभियुक्तों ने किसी चीज से मारा था, साक्षी ने स्वीकार किया है कि जब वे दौड़कर गये, तब अभियुक्तगण उसकी माँ गंगाबाई और ससुर रामु को लकड़ी से मारपीट कर रहे थे, उसका पति जगदीश बीच-बचाव करने गया तो कैलाश ने उसके साथ मारपीट की, जिससे जगदीश को सिर और हाथ में चोट आई थी । बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसे अपने ससुराल में अच्छा नहीं लगता था और पति के भाई झगडा करते थे, इसलिए वह अपने पति को लेकर माता-पिता के यहां रहने चली आई, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसके पति मदिरापान शराब पीते थे । साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसके विवाह के बाद अभियुक्तगण भी उनके गांव में आकर रहने लगे थे और अभियुक्तगण के मकान के पास उसके माता-पिता ने उसका मकान बना दिया था, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि उनका अभियुक्तों से इस विवाद के पहले भी कई बार विवाद होता रहा है । साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि घटना के समय विद्युत प्रदाय बंद था अथवा उसका पति शराब पीकर अभियुक्तों के यहां विवाद करने गया था तथा उसके गिरने से चोटे आई थी तथा उसके माता-पिता को भी गिरने से चोटे आई थीं । साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि वह अभियुक्तों को फँसाने के लिये असत्य कथन कर रही है ।

14. साक्षी अंबाराम (अ.सा.8) द्वारा उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में कोई कथन नहीं किया गया है । इस साक्षी को अभियोजन द्वारा दिये गये सुझाव से भी साक्षी ने इस बात से इन्कार किया है, यहां तक कि पुलिस को प्र.पी.4 के कथन देने से भी स्पष्ट इन्कार किया है, संभवतः साक्षी भूल जाने या अभियुक्तों से प्रभावित होने के कारण अभियोजन के पक्ष में कथन नहीं कर रहा है ।

15. साक्षी डॉ. अनिता सिंगारे (अ.सा.10) का कथन है कि दिनांक 21.06.08 को उसने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ठीकरी में आरक्षक हरिओम द्वारा लाने पर गंगाबाई पति रामु का मेडिकल-परीक्षण कर उसके सिर में दाहिनी ओर सूजन तथा खरोंच के निशान होना पाये थे तथा रामु पिता विटटल का परीक्षण करने पर सिर में बायी ओर 3X3 से.मी. का सूजन तथा बायीं आंख के उपर 2X3 से.मी. का सूजन होना

पाया था । साक्षी ने उक्त आहतों को आई चोटे परीक्षण से 6 घण्टे के भीतर सख्त एवं बोथरी वस्तु से आना पायी थी और मेडिकल-परीक्षण प्रतिवेदन प्र.पी.10 एवं प्र.पी.11 को प्रमाणित किया है । साक्षी का यह भी कथन है कि उसने इसी दिनांक को उसी आरक्षक द्वारा लाये जाने पर जगदीश पिता मंशाराम का परीक्षण कर उसके सिर में पीछे की ओर 5 से.मी. का फटा हुआ घांव पाया था, जिसके लिये एक्स-रे परीक्षण की सलाह दी थी । जगदीश को दाहिनी भुजा में सूजन होना पाया था । उक्त दोनों चोटे सख्त एवं बोथरी वस्तु से परीक्षण के 6 घण्टे के भीतर आना पाया था, साक्षी ने उसकी मेडिकल-परीक्षण प्रतिवेदन प्र.पी.12 पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है । साक्षी ने जगदीश पिता मंशाराम के एक्स-रे का परीक्षण करने पर उसके सिर की हड्डी में पीछे की ओर से अस्थि-भंग होना पाया था । एक्स-रे परीक्षण प्रतिवेदन प्र.पी.13 के ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षरों को भी स्वीकार किया है । बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि आहतों को आई चोटे किसी सख्त एवं बोथरे धरातल पर गिरने से आ सकती हैं, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि पैर फिसलने पर कोई व्यक्ति पीछे की ओर गिरने से आहत को सिर में आई चोटे आना संभव है । साक्षी ने स्पष्ट किया है कि सिर की हड्डी मजबूत होती है और पैर फिसलने पर गिरने से उक्त चोटे आना संभव नहीं है ।

16. साक्षी भुरला डावर (अ.सा.2) का कथन है कि दिनांक 21.06.08 को फरियादी जगदीश द्वारा मौखिक रूप से रिपोर्ट लिखाने पर उसने अभियुक्तों के विरुद्ध असंज्ञेय अपराध क्रमांक 235/08 दर्ज किया था, जिसका मूल अभिलेख वह साथ में लाया है, उक्त अदम चेक प्र.पी.1 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । उसने फरियादी जगदीश, आहत गंगाबाई एवं रामु को मेडिकल-परीक्षण के लिये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ठीकरी भेजा था तथा आहत जगदीश को एक्स-रे में अस्थि-भंग की चोट होने के कारण अभियुक्तों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 232/08 प्र.पी. 2 का दर्ज किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि आहत किस साधन से रिपोर्ट करने आए थे, यह उसने नहीं देखा है । साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि उसने उक्त अदम चेक अपने मन से लेखबद्ध कर लिया था ।

17. साक्षी विशम्भर सिंह कुशवाह (अ.सा.9) का कथन है कि दिनांक 25.08.08 को थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 225/08 की विवेचना के दौरान उसने जगदीश के बताये अनुसार प्र.पी.5 का नक्शा मौका बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । उसने आहत जगदीश के पेश करने पर खून के धब्बे लगी एक शर्ट प्र.पी.6 के अनुसार जप्त की थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । उसने फरियादी एवं साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे । अभियुक्त कैलाश से एक बॉस की लकड़ी प्र.पी.7 के अनुसार जप्त की थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । उसने अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया था । बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि प्र.पी.7 के जप्ती पंचनामे में बॉस की लकड़ी की मौटाई का उल्लेख नहीं किया है । साक्षी ने स्वीकार किया है कि उक्त प्रकार की लकड़ी किसानों और पशु चराने वालों के पास रहती है । साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध असत्य विवेचना की है तथा वह अभियुक्तों को फँसाने के लिये असत्य कथन कर रहा है ।

18. अभियुक्तगण के विद्वान अभिभाषक का तर्क है कि फरियादी एवं अभियुक्त पक्ष के मध्य मकान की बागड़ को लेकर पुरानी रंजिश रही है, घटनास्थल पर रात के समय अंधेरा था, अभियोजन की ओर से किसी स्वतंत्र साक्षी का परीक्षण भी नहीं कराया गया है, ऐसी स्थिति में अभियोजन कथानक शंकास्पद हो जाता है और अभियुक्तों को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है ।

19. यह सही है कि आहत साक्षियों ने अभियुक्तों से मकान की बागड़ को लेकर विवाद होना स्वीकार किया है और अभियुक्तों से बोलचाल भी बंद होना स्वीकार किया है, लेकिन साक्षियों ने स्पष्ट किया है कि उनकी अभियुक्तों से कोई रंजिश नहीं है और झगड़े के बाद से ही बातचीत बंद है । आहत साक्षियों ने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि अंधेरे में कोई अन्य व्यक्ति ने मारपीट की है और वे अंधेरे के कारण मारपीट करने वाले व्यक्तियों को नहीं पहचानते हैं । अभियुक्तों द्वारा बागड़ की बात को लेकर गंगाबाई (अ.सा.1) तथा रामु (अ.सा.4) के साथ सख्त एवं बोथरी वस्तु लकड़ी आदि से मारपीट करने के संबंध में आहत साक्षियों के कथन पूर्णतः विश्वसनीय हैं, साक्षियों के कथन इस संबंध में भी परस्पर पुष्टिकारक हैं कि आवाज सुनकर जब जगदीश (अ.सा.2) अपने सास-ससुर को बचाने के लिये गया, तब अभियुक्त कैलाश ने जगदीश को सिर के पिछले भाग में लकड़ी मार दी थी, जिससे उसे चोट आकर खून निकला था । इस घटना की रिपोर्ट तत्काल जगदीश द्वारा थाना ठीकरी में असंज्ञेय अपराध के रूप में दर्ज करायी गयी, जिसे भुरला डावर (अ.सा.3) ने लिखा था और उक्त तीनों ही आहत साक्षियों को मेडिकल-परीक्षण के लिये भेजा गया था, जहां डॉ. अनिता सिंगार (अ.सा.10) ने रामु पिता विट्ठल तथा गंगाबाई पति रामु को सख्त एवं बोथरी वस्तु से साधारण प्रकृति की चोटे परीक्षण से 6 घण्टे के भीतर की पायी हैं तथा जगदीश को सिर में पीछे की ओर से 5 से.मी. का फटा हुआ घांव सख्त एवं बोथरी वस्तु से होना पाया था और उक्त सिर की चोट का एक्स-रे परीक्षण करने पर उक्त चोट में अस्थि-भंग होना पाया गया ।

20. साक्षी विशम्भर सिंह कुशवाह (अ.सा.9) ने इस अपराध की विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये और अभियुक्त कैलाश से एक बॉस की लकड़ी प्र.पी.7 के अनुसार जप्त की थी तथा आहत जगदीश से खून लगा हुआ एक शर्ट जप्त किया था, उक्त संपूर्ण साक्ष्य जो कि एक-दूसरे की परस्पर पुष्टिकारक है, का बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में कोई भी खंडन नहीं है । जहां तक अभियोजन साक्षियों का एक-दूसरे से हितबद्ध होने का प्रश्न है, वहां उक्त साक्षीगण अभियोजन के स्वाभाविक साक्षी हैं तथा हितबद्ध साक्षीगण के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि हितबद्ध साक्षीगण की साक्ष्य हमेशा ही तिरस्कृत किये जाने योग्य नहीं होती, बल्कि आहत से हितबद्ध होने के कारण वे चाहते हैं कि असल अपराधी को ही सजा मिले ।

21. इस प्रकार अभियोजन साक्ष्य से युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित है कि अभियुक्तगण कैलाश और अनिल ने दिनांक 21.06.08 को रात्रि लगभग 9:30 बजे ग्राम दवाना में आहत गंगाबाई और रामु को सख्त एवं बोथरी वस्तु लकड़ी से मारपीट कर उनको स्वैच्छापूर्वक उपहति कारित की, जो कि भा.द.सं. की धारा-323 का अपराध है, अतः यह न्यायालय उक्त अभियुक्तों को भा.द.वि. की धारा-323 के अपराध में दोषसिद्ध घोषित करता है । अभियोजन साक्ष्य से यह भी प्रमाणित है कि अभियुक्त कैलाश ने जगदीश को सख्त एवं बोथरी वस्तु लकड़ी से उसके सिर के पिछले भाग में

मारपीट कर उसे स्वैच्छापूर्वक घोर उपहति कारित की थी, जो भा.द.वि. की धारा-325 का अपराध है, अतः यह न्यायालय अभियुक्त कैलाश पिता मानसिंह उर्फ मालसिंह को भा.द.सं. की धारा-325 के अपराध में दोषसिद्ध घोषित करता है ।

22. जहां तक अभियुक्त अनिल द्वारा आहत जगदीश को मारपीट किये जाते समय उसे स्वैच्छया घोर उपहति कारित करने के अभियुक्त कैलाश के साथ सामान्य आशय का निर्माण किये जाने का प्रश्न है, आहत साक्षियों एवं शेष साक्षीगण का यह कथन नहीं है कि अभियुक्त अनिल ने अभियुक्त कैलाश के साथ मिलकर स्वैच्छया घोर उपहति कारित करने में सामान्य आशय निर्मित किया, ऐसी स्थिति में अभियुक्त अनिल के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा-325/34 का अपराध प्रमाणित नहीं होता है, अतः अभियुक्त अनिल को भा.द.सं. की धारा-325/34 के अपराध से दोषमुक्त घोषित किया जाता है ।

23. चूंकि अभियुक्तों को भा.द.सं की धारा-323 एवं 325 में दोषसिद्ध ठहराया गया है, प्रकरण की परिस्थिति एवं अपराध को देखते हुए अभियुक्तों को परिवीक्षा पर रिहा करना उचित प्रतीत नहीं होता है । अतः सजा के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय अस्थायी रूप से स्थगित किया जाता है ।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
अंजड़, जिला-बड़वानी म.प्र.

पुनश्च:

24. सजा के प्रश्न पर अधिवक्ता एवं आरोपीगण को सुना गया, उनका निवेदन है कि मामूली विवाद में यह घटना घटित हुई है, अतः सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए । उनका यह भी तर्क है कि अभियुक्तगण ने विचारण का शीघ्रता से सामना भी किया है ।

25. अभियुक्तगण एक ही परिवार के हैं और उनके द्वारा विचारण का शीघ्रता से सामना किया गया है, ऐसी स्थिति में अभियुक्तों को कारावास से दण्डित करना उचित प्रतीत नहीं होता है । अतः यह न्यायालय अभियुक्तगण अनिल पिता मानसिंह उर्फ मालसिंह एवं कैलाश पिता मानसिंह उर्फ मालसिंह को भा.द.सं. की धारा-323 में दोषी ठहराते हुए 3-3 बार न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 300-300/-रुपये कुल 9,00/-रुपये प्रत्येक के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 10-10 दिन के कारावास, आरोपी कैलाश को भा.द.सं. की धारा-325 में दोषी ठहराते हुए 1 वर्ष से सश्रम कारावास तथा 1000/-रुपये के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 2 माह के सश्रम कारावास से दण्डित किया जाता है । अभियुक्त कैलाश इस प्रकरण में दिनांक 13.10.15 से अभिरक्षा में है, उक्त अवधि कारावास की सजा में समायोजित की जाए, उक्तानुसार द.प्र.सं. की धारा-428 का प्रमाण-पत्र बनाया जाए । निर्णय की एक प्रति अभियुक्त कैलाश को निःशुल्क दी जाए । अभियुक्त कैलाश का सजा वारंट बनाया जाए, अभियुक्त को केन्द्रीय जेल, बड़वानी भेजा जाए ।

26. अर्थदण्ड की राशि अदा होने पर उसमें से रुपये 500—500/—रुपये आहत/फरियादी गंगाबाई, रामु एवं जगदीश को अपील अवधि पश्चात् प्रदान किये जाये ।

27. प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति शर्ट एवं लकड़ी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जाये ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित ।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़ जिला—बड़वानी, म.प्र.

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला—बड़वानी, म.प्र.